न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-203/1999

CNR No. UPBB180000051999

रामापति बनाम बलराम पाण्डे आदि।

03.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित। प्रतिवादीजन अनुपस्थित। प्रतिवादीजन का प्रार्थना पत्र क-121 पर आपत्ति हेतु अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र क-121 लंच बाद पेश हो।

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

वादीजन की ओर से प्रार्थना पत्र क-121 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र क-118 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा०दी० का दिनांक 28.10.2022 को प्रस्तुत किया था जिस पर प्रतिवादी ने आपत्ति की। प्रतिवादी ने आपत्ति में उल्लेख किया कि प्रतिवादी सं० 2 सतीश चन्द पाण्डे के भाई करूण शंकर का नाम कायम मुकाम प्रार्थना पत्र क-118 में दर्ज नहीं है जिसका नाम कायम मुकाम प्रार्थना पत्र क-118 में दर्ज करना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि करूण शंकर सतीश चन्द पाण्डे का जायज वारिस व कायम मुकाम है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र क-118 में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की करें।

प्रतिवादीजन अनुपस्थित।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। प्रतिवादीजन को भी कोई तात्विक हानि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र क-121 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र क-121 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार वादीजन, कायम मुकाम प्रार्थना पत्र क-118 में संशोधन अन्दर 15 दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.02.2025 को पेश हो।

(डॉ० प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट

न्यायालय संख्या–14, बाराबंकी।